Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 72–2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 27, 2020 (JYAISTHA 6, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 मई, 2020

संख्या 48/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 15/जीएसटी–2, दिनांक 31 मार्च, 2020 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 15/जीएसटी–2, दिनांक 31 मार्च, 2020 में,

(i) प्रथम पैरा में, –

(क) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ख) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु व्यक्तियों के उक्त वर्ग में वे निगमित ऋणी शामिल नहीं होंगे जिन्होंने आईआरपी/आरपी की नियुक्ति से पूर्व सभी कर अवधियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 37 के अधीन विवरण और धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर दी है।";

(ii) पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 21 मार्च, 2020 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

"2. रजिस्ट्रीकरण : व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तिथि से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां निगमित ऋणी पूर्व में रजिस्टर्ड था, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के तीस दिन के भीतर या 30 जून, 2020 तक, जो भी बाद में हो, नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) करवाने के लिए उत्तरदायी होगा ।"।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th May, 2020

No. 48/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification no. 15/GST-2, dated the 31st March, 2020, namely:–

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification no. 15/GST-2, dated the 31st March, 2020, –

(i) in the first paragraph, –

(a) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that the said class of persons shall not include those corporate debtors who have furnished the statements under section 37 and the returns under section 39 of the said Act for all the tax periods prior to the appointment of IRP/RP.";

(ii) for the paragraph 2, the following paragraph shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 21st March, 2020, namely:–

"2. **Registration**.– The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration) in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP or by 30th June, 2020, whichever is later.".

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

8776—C.S.—H.G.P. Pkl.